वित्त निर्देश 14/2007

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 90 /116/वित्त/नियम/चार/2007, रायपुर, दिनांक 19.04.2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ।

विषयः -राज्य शासन के पेंशनरों की वर्तमान मूल पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत का दिनांक 1.4.2007 से महंगाई पेंशन के रूप में परिवर्तन ।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के मामले में दिनांक 1.4.2007 से वर्तमान मूल पेंशन/परिवार पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत, महंगाई पेंशन/परिवार पेंशन [Dearness Pension/Family Pension] के रूप में परिवर्तित की जाए और पृथक से महंगाई पेंशन/परिवार पेंशन के रूप में दर्शाई जाए ।

2. महंगाई पेंशन/परिवार पेंशन के रूप में परिवर्तित महंगाई राहत को महंगाई राहत की विद्यमान दर से घटाया जाएगा । वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 332/सी-1409/वित्त/नियम/चार/2006, दिनांक 3 अक्टूबर 2006 के अनुसार वर्तमान में राज्य शासन के पेंशनरों को मूल पेंशन के 70 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत देय है । परिणामस्वरूप, दिनांक 1.4.2007 (माह अप्रैल, 2007 की पेंशन माह मई, 2007 में देय) से मूल पेंशन तथा महंगाई पेंशन/परिवार पेंशन पर 20 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत देय होगी । महंगाई राहत की स्वीकृति संबंधी अन्य प्रावधान इस विभाग के उक्त ज्ञाप दिनांक 3 अक्टूबर, 2006 से विनियमित होगें।

3. पेंशन संवितरण प्राधिकारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रत्येक मामलें में भुगतान योग्य महंगाई पेंशन/महंगाई राहत की राशि की गणना करें ।

4. राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई पेंशन/महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें । भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़/संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं

पेंशन /कोषालय अधिकारी से प्राधिकार प्राप्त होनें पर महंगाई पेंशन/महंगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये । यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जाये ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.एस.मिश्र)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

Government of Chhattisgarh
Dau Kalyan Singh Bhawan
Finance Department,
Mantralaya-Raipur

No. 90/116/Fin/Rule/IV/2007 Raipur, Dated 19-04-2007

To,

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Bilaspur
All Heads of Department
All Collectors
Chhattisgarh

Sub:- Conversion of Dearness Relief equal to 50% of the present pension of State Government pensioners into Dearness pension w.e.f. 1-4-2007.

--00—

State Government is pleased to decide that with effect from 1-4-2007 in case of existing pensioners, Dearness Relief equal to 50% of the present pension shall w.e.f. 1-4-2007 be converted into Dearness pension/family pension and shown distinctly as Dearness pension/family pension.

2. Dearness Relief converted into Dearness Pension/Family would be deducted from the existing rate of Dearness Relief. At present Dearness Relief is payable at the rate of 70% as per Finance Department memo no. 332/C-1409/Fin/Rule/IV/2006, Dated 3rd October' 2006.Consequently, Dearness Relief from 1-4-2007 (pension for the month of April, 2007 payable in May, 2007) would be payable at the rate of 20% on Basic Pension and Dearness Pension/ Family Pension.Other provisions governing grant of Dearness Relief will be regulated in accordance with the provisions contained in this Department's above mentioned memo dated 3rd October'2006.

3. It will be the responsibility of the pension disbursing authority, including the nationalized banks, etc, to calculate the quantum of Dearness Pension/Dearness Relief payable in each individual case.

4. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/ Pension disbaring Officers are directed to make payment of the above sanctioned Dearness pension/Dearness relief to State Government pensioners early, keeping in view the amendment provisions of S.R.347 of the M.P.T.C. Volume-I, issued vide Finance Department's endorsement No.E-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness pension/dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh/Divisional Joint Director, Treasuries, Accounts and

Pension/Treasury Officer. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh

(D.S.Mishra)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Finance Department

पृ.क्र. 91/116/वि/नि/चार/2006 रायपुर, दिनांक 19/04/2007

प्रतिलिपि–

1. राज्यपाल के सचिव,राजभवन,रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभ सचिवालय,रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
5. सचिव, लोक आयोग/छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री,छत्तीसगढ़ शासन ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ ।
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
10. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ रायपुर
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, रायपुर ।
13. आवासीय आयुक्त,छत्तीसगढ़ भवन,चाणक्यपुरी,नई दिल्ली ।
14. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
15. समस्त सचिव,विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी /पेंशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ ।
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
21. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक,गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपाटमेंट, सी-7 बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बाक्स न. (पूर्व) मुंबई ।
22. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधंक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक,पेंशन वितरण बैंकों को क्षेत्रीय कार्यालय,छत्तीसगढ़ की ओर वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक ई 4-1/81/नि-2/चार, दिनांक 22.11.82 के अनुक्रम में अग्रेषित कर निवेदन है कि वे कृपया अपने अधीनस्थ सभी बैंक शाखाओं को इस आदेश की प्रति मय सहपत्र के इस निर्देश के साथ अग्रेषित करें, ताकि राज्य शासन द्वारा स्वीकार की गई राहत राशि का भुगतान सिविल पेंशनरों को यथासंभव शीघ्र हो सके ।
23. वित्त सचिव, गुजरात शासन,मंत्रालय,गांधीनगर ।
24. वित्त सचिव,आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद ।

25. वित्त सचिव, आसाम शासन, मंत्रालयत्र शिलांग 793001.
26. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001.
27. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002.
28. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरूवनन्तपुरम 695039
29. वित्त सचिव, तमिलनाडू शासन,मंत्रालय, चेन्नई 600018.
30. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020.
31. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001.
32. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भूवनेश्वर 751001.
33. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंड़ीगढ़ 160047.
34. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003.
34. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001.
35. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001.
36. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001.
37. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001.
38. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001.
39. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001.
40. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा.
41. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001.
42. वित्त सचिव, गोवा दीव एवं दमन शासन, मंत्रालय पणजी गोवा 403101.
43. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 71701.
44. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून.
45. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004.
46. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, पांचवीं मंजिल सी–ब्लाक,लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001.
47. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर 360001.
48. महालेखाकार–1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रेदश हैदराबाद 500463.
49. महालेखाकार–2 (लेखा एवं हक.) आन्धगप्रदेश हैदराबाद 500463.
50. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मंघालय, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश, शिलांग 793001.
51. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001.
52. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद्र पटेल मार्ग पटना 800001.
53. प्रधान महालेखाकार–1(लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834002.
54. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल पो. बाक्स न. 5607,तिरूवनन्तपुरम 695039.
55. महालेखाकार–1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018.
56. महालेखाकार–2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018.
57. महालेखाकार–1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, महर्षि कर्वे रोड़, मुंबई 400020.
58. महालेखाकार–2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001.

59. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड़, बैंगलोर 560002.
60. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001.
61. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंड़ीगढ़ 160017.
62. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा,लेखा भवन,प्लाट नं4,सेक्टर 5 33बी चड़ीगढ़ 160047.
63. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोर्टन कंसल भवन शिमला 171003.
64. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग जयपुर 302001.
65. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक) उत्तरप्रदेश लखनऊ 226001.
66. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश इलाहाबाद 211001.
67. प्रमुख महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक) पश्चिम बंगाल ट्रेजरी विल्डिंग कोलकाता 700001.
68. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर,श्रीनगर 190001.
69. वरिष्ठ महालेखाकार (लेखा एवं हक) त्रिपुरा, अगरतला 799001.
70. वरिष्ठ उप महालेखाकार,(लेखा एवं हक.) नागालैण्ड,कोहिमा 797001.
71. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक हक.) सिक्किम लाकार भवन गंगटोक
72. संचालक,लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन दीव पोस्ट पणजी गोवा 403101
73. महालेखागार,मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
74. प्रमुख वेतन एवं लेखाधिकारी, दिल्ली प्रशासन,विकास भवन, नई दिल्ली
75. नियंत्रक लेखा,विदेश मंत्रालय,केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली ।
76. नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत शासन, नई दिल्ली ।
77. राज्य सूचना अधिकारी,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (nic) को वित्त विभाग की वेबसाइट http://cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(अमिताभ शर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग